



पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय 03 ई.एम.ई. सेंटर बैरागढ़



शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय

PMSHRI KENDRIYA VIDYALAYA 03 EME CENTRE BAIRAGARH

AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA

पीएम श्री के.वि.3 ई.एम.ई. सेंटर बैरागढ़ विद्या भोपाल (य. प्र.) - 462030 / PM SHRI KV 03 EME CENTRE BAIRAGARH DISTT BHOPAL (M.P.) - 462030

E-मेल / E-Mail ppl.bairagarh@kvs.gov.in / principalkvbrgh@gmail.com (0755)-2983991, वेबसाइट / Website: www.kvbairagarh.kvs.ac.in

SCHOOL CODE: 1091

UDISE CODE: 23320300228

CBSE AFFILIATION NO: 1000010

CBSE CODE: 54072

फा.27-1/2024/आई.सी.सी.के.वी.वै/भोपाल/

दिनांक: 24.08.2024

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नयी दिल्ली के पत्र क्रमांक. फा 11- 55/2000/- केविसं (सतर्कता)/पार्ट -I दिनांक 03.06.2015 तथा आदेश क्रमांक फा. 11- 55/2000/- केविसं (सतर्कता)/पार्ट -I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12. 2013 से लागू " कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा 4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशा निर्देशों के अनुसार पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़ में प्राप्त शिकायतों के निपटारे से सम्बंधित "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का गठन किया जा रहा है।

क्र.	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	क्षेत्राधिकार
1	पीठासीन अधिकारी	सुश्री श्रद्धा सिन्हा, स्नातकोत्तर शिक्षिका (रसायन विज्ञान) पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़, भोपाल. दूरभाष सं:	विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" सम्बंधित शिकायतों की जांच कर समिति की रिपोर्ट यथोचित को सौपना।
2	महिला सदस्य	सुश्री प्रीती चौधरी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका (गणित) दूरभाष सं:	
3	पुरुष सदस्य	श्री संजय कुमार दुबे, स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिक विज्ञान) दूरभाष सं:	
4	NGO सदस्य	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यू लक्ष्य सोशल & इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल दूरभाष सं:	

टिप्पणी:-

1. समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्य काल, आदेश पारित होने के बाद अधिकतम तीन वर्ष तक रहेगा।
2. गठित की गयी समिति में आधे सदस्य महिलाएं होंगी।
3. "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013"/ " Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति, अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कार्यानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समयसमय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाये।

प्रति:

1. उपरोक्त समिति सदस्य
2. विद्यालय सूचना पट्ट (समस्त कर्मचारियों के संज्ञान हेतु)

(वी.के. वचले)
24.8.24

प्राचार्य
प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
बैरागढ़ भोपाल / Bairagarh Bhopal
पिन- 462031 / PIN-462031